न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :—नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय
/ 20	24.01.2022	17.06.2025

बउनवान

01. मनोहर लाल पुत्र कुन्ना जाति जाटव निवासी ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

वादी

बनाम

01. गंगाराम पुत्र हरीकिशन जाति जाटव निवासी ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा
02. कृपाल पुत्र गंगाराम जाटव निवासी ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा
03. राजू पत्रु गंगाराम जाटव निवासी ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा

असल प्रतिवादीगण

04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा।

तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबन्दी हाल सम्वत 2075—2078 खाता संख्या नया 101 पुराना 35 मे वर्णित हाल आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 0.30 है0, 313 रकबा 0.35 है0, 320/675 रकबा 0.07 है0, 381 रकबा 0.07 है0, 382 रकबा 0.07 है0, 403 रकबा 0.33 है, वाके ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त बिना रोक—टोक के चला आ रहा है। वादी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है और वर्तमान में मौके पर काबिज है। असल प्रतिवादीगण जो कि आपस मे पिता—पुत्र है, का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध, सरोकार, वास्ता, कब्जा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नही है। असल प्रतिवादी विवादित आराजी से गैरकाबिज एवं गैरवास्ता शख्स है। उक्त विवादित आराजी मे मौके पर कभी कोई कच्चा या पक्का आवागमन के लिये नही आ रहा है ना वर्तमान मे है। असल प्रतिवादीगण वादी की शान्तिप्रियता का नाजायज फायदा उठाकर वादी

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

को विवादित आराजी से लटठ के बल पर जबरन बेदखल करना चाहता है एवं जबरन कब्जा करने व उक्त विवादित आराजी पर वादी को उपयोग–उपभोग नही करने देते है तथा मौके पर कच्चा, पक्का नवीन रास्ता कायम करने की धमकी देते है। जिसका असल प्रतिवादीगण को कोई भौतिक एवं विधिक अधिकार नही है। यदि असल प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये एवं वादी की विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर कच्चा पक्का नवीन रास्ता कायम कर दिया तो वादी के जायज कानूनी हकूक जायल होकर खतरे मे पड जायेगे तथा बेजा मुकदमाबाजी बढेगी तथा वादी ऐसा भारी नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नही आंकी जा सकेगी। अतः डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाकर असल प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित हाल आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया 101 पुराना 35 मे वर्णित हाल आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 0.30 है0, 313 रकबा 0.35 है0, 320/675 रकबा 0.07 है0, 381 रकबा 0. 07 है0, 382 रकबा 0.07 है0, 403 रकबा 0.33 है, वाके ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा से वादी को किसी कदर जबरन बेदखल कर जबरन कब्जा ना करें, वादी के कब्जे व कुल कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे तथा कुल उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा न करे। उक्त आराजी में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नवीन रास्ता कायम नही करें।

प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता हाजिर आये। वकील प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु जवाब पेश नही किया गया। दिनांक–02.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 4 को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नही करने पर प्रतिवादी सं0 4 का जवाब बन्द किया गया। पत्रावली मे वकील वादी के साक्ष्य लिये गये।

वकील वादी बहस सुनी। वकील वादी ने वाद मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए वाद डिक्री करने का कथन किया।

वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वाद में उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2075–2078 ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा प्रदर्श–1 खाता संख्या 101 पुराना 35 में वर्णित आराजी के वादी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण असल का विवादित आराजी से किसी प्रकार का संबंध नही है। प्रतिवादीगण असल द्वारा वादी को उनकी खातेदारी काश्तकारी आराजी के कब्जे काश्त मे रूकावट व मजाहमत पैदा कर जबरन बेदखल कर लटठ के बल पर कच्चा/पक्का नवीन रास्ता कायम किया जाता है तो कानूनन वादी के कानूनी हक जायल होते है। वादी के कब्जे काश्त मे रूकावट व मजाहमत पैदा नही करने के लिये प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण असल बहक वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जात है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया 101 पुराना 35 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 249 रकबा 0.30 है0, 313 रकबा 0.35 है0, 320/675 रकबा 0.07 है0, 381 रकबा 0.07 है0, 382 रकबा 0.07 है0, 403 रकबा 0.33 है, वाके ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा मे से वादी को जबरन बेदखल नही करे। जबरन कब्जा नही करे। वादी के कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना करे और ना ही कुल उपभोग व उपयोग मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनाक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०